



समाहरणालय, बक्सर


(जिला ग्रामीण विकास अभिकरण)



मनरेगा के तहत सामग्री अधिप्राप्ति हेतु आपूर्तिकर्ता चयन के लिए अति अल्पकालीन निविदा ।

आयुक्त मनरेगा, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 232, दिनांक 04.02.2020 के आलोक में बक्सर जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतवार योजनाओं में प्रयुक्त होनेवाले सामग्री यथा- ईट, लोकल बालू, सोन बालू/लाल बालू, गिट्टी,छड़/सरिया,ईट के टुकड़े,सीमेंट वाईडिंग वायर, यू0पी0भी0सी0 पाईप, यू0पी0भी0सी0 बैंड, हैंड पम्प, जी0आई0पाईप, सी0जी0आई0सीट, पेंट हुक बोल्ट, ग्रील गेट, पौधा रोपण हेतु खाद, कीटनाशक दवाई आदि, पौधा (ईमारती/फलदार), गैवीयन (बॉस/स्टील) इत्यादी सामग्रियों के अधिप्राप्ति (Material Procurement) हेतु निबंधित एवं सक्षम प्रतिष्ठानों/इच्छुक वेंडरों से मुहर बंद अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा मुहर बंद अलग-अलग लिफाफे में बंद रखते हुए सील बंद लिफाफे में दिनांक 26.06.2021 के अप0 5:00 बजे तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,बक्सर के कार्यालय में स्वयं या निबंधित डाक से जमा किया जा सकता है। दिनांक 28.06.2021 के पूर्वा0 11.00 बजे प्राप्त निविदा खोले जायेंगे।निविदा की विस्तृत विवरणी एवं तकनीकी/वित्तीय निविदा की शर्तें जिला के वेबसाईट **www.buxar.nic.in** पर देखा जा सकता है। अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी समय चयन प्रक्रिया को रद्द करने तथा निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।


उप विकास आयुक्त
-सह-

अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक
बक्सर।

समाहरणालय, बक्सर

(जिला ग्रामीण विकास अभिकरण)

मनरेगा के तहत सामग्री अधिप्राप्ति हेतु आपूर्तिकर्ता चयन के लिए अतिअल्पकालीन निविदा

आयुक्त, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 232 दिनांक 04.02.2020 के आलोक में होने वाली सामग्री यथा सीमेन्ट, स्टोन चिप्स, ब्रिक्स, सोन बालू, जी0आई0 शीट, जी0आई0 पाईप, छड़ (80mm, 10mm, 12mm), लोकल बालू आवश्यकतानुसार पौधा, पौधा-सामग्री, स्टेशनरी सामग्री आदि सामग्री अधिप्राप्ति (Material Procurement) हेतु प्रतिष्ठित, निबंधित एवं इच्छुक प्रतिष्ठानों से अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा के आधार विभिन्न सामग्रियों के अधिप्राप्ति हेतु आपूर्तिकर्ता (Vendor) को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा जिला स्तर से गठित कमिटी के अनुशंसा के उपरान्त आपूर्ति हेतु सूचिबद्ध किया जायेगा। इसके लिए सिलबंद लिफाफे में दिनांक 26-06-2021 को अपराह्न 05.00 बजे तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बक्सर में निविदा समर्पित किया जा सकता है। निविदा की शर्तें निम्नवत् होंगी:-

(क) निविदा की सामान्य शर्तें :-

1. विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरान्त 26-06-2021 को अपराह्न 05.00 बजे तक निविदा लेखा शाखा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बक्सर में जमा करना होगा। प्राप्त निविदा को दिनांक 28-06-2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से खोला जायेगा।
2. निविदा में द्वि-लिफाफा प्रणाली तकनीकी विवरणी एवं वित्तीय विवरणी अलग-अलग लिफाफा में रखते हुए सीलबंद लिफाफा में उपलब्ध कराना होगा।
3. चयनित आपूर्तिकर्ताओं से एक से अधिक प्रखंडों के लिए आवश्यकता अनुसार कार्य लिया जायेगा।
4. निविदा में उल्लेखित दर सभी कर तथा योजना स्थल पर सामग्री पहुँचाने तक की दर के साथ अंकित करना होगा।
5. निविदा बिना कारण बताये स्थगित/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा तथा किसी विवाद में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
6. किसी प्रकार का विवाद होने पर नयाययिक क्षेत्र बक्सर होगा।
7. न्यूनतम तीन वर्षों से सरकारी कार्यालयों में आपूर्ति का अनुभव वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।


(ख) निविदा की तकनीकी शर्तें :-

1. निविदा में उल्लेखित न्यूनतम दर सभी कर सहित तथा योजना स्थल पर सामग्री पहुँचाने तक के दर के साथ अंकित करना होगा।

2. निविदादाता / Vendor को GST निबंधन प्रमाण-पत्र एवं मार्च 2021 का अद्यतन GST रिटर्न पैन कार्ड, आधार कार्ड, विगत वर्ष (2019-20) का आयकर रिटर्न की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं एक Cancel चेक संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. निविदादाता को अपने फर्म/एजेन्सी का काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी से निर्गत शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. समय सीमा के अन्दर एवं निर्धारित मानक के अनुरूप सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फर्म/प्रतिष्ठान को काली सूची में दर्ज करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. गठित कमिटी के द्वारा विभिन्न सामग्रियों हेतु प्रखंडों एवं प्रखंडों एवं ग्राम पंचायतों लिए निविदादाताओं को एक वर्ष के लिए NREGA SOFT MIS पर सूचीबद्ध करने की अनुशंसा की जायेगी, जिसका अनुमोदन जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा किया जायेगा। समिति के द्वारा समीक्षा के आधार Vendor का अधिकतम दो वर्ष अवधि का विस्तार की अनुशंसा की जा सकती है।

(ग) निविदा की वित्तीय शर्तें :-

1. प्रत्येक निविदादाता को 10000/- (दस हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त, बक्सर के पदनाम के साथ संलग्न करना होगा।
2. निविदा में उल्लेखित दर मनरेगा अंतर्गत SECURE Software Civil कार्यों के लिए भवन निर्माण विभाग के द्वारा निर्धारित दर Schedule of rates (SOR) तथा वृक्षारोपण और पौधाशालाओं के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. सामग्री के अधिप्राप्ति में बिहार वित्त नियमावली, 2005 यथा संशोधित के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. सामग्री के आपूर्ति के पश्चात राशि का भुगतान विभाग द्वारा सामग्री मद में उपलब्ध करायी गयी राशि के आलोक में में eFMS के माध्यम से विभागीय दिशा-निर्देशों एवं मनरेगा के मार्गदर्शिका के आलोक में संबंधित प्रखंड पंचायत/कार्यान्वयन एजेन्सी के द्वारा किया जायेगा।


उप विकास आयुक्त,
-सह-

अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा
बक्सर।